23 से 27 अक्टूबर, 2016 तक जेनेवा में आयोजित की जा रही 135वीं अंतर संसदीय संघ सभा में संघर्ष (युद्ध) के पूर्व लक्षणों के रूप में मानवाधिकार उल्लंघन : इसके शीघ्र प्रत्युत्तर देने में संसदों की भूमिका'' विषय पर माननीय अध्यक्ष का भाषण

मानवाधिकार की धारणा मानव गरिमा (आत्मसम्मान) पर आधारित है और यह गरिमा (आत्मसम्मान) ही व्यक्ति की पहचान होती है। नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की स्थापना इस उद्देश्य से की जाती है ताकि मानव गरिमा के सभी पहलुओं और आयामों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। मानव अधिकार सार्वभौमिक, अनुल्लंघनीय, समान और अभेदात्मक होते हैं। भेदभाव और वंचना भी मानव अधिकारों का उल्लंघन ही हैं जो विश्व के अनेक भागों में मौजूद हैं। आतंकवाद की चुनौती और लोकतंत्र न होने के कारण करोड़ों लोग अपने मानवाधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सबके मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लोकतंत्र, सुशासन, कानून का शासन और सर्वसुलभ न्याय और सिविल समाज की भागीदारी आवश्यक हैं।

संसद एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है, इसीलिए मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में लोगों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी संसद पर ही आती है। लोगों का कल्याण करने वाले माध्यमों के रूप में सांसद मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के साथ–साथ मानवाधिकार उल्लंघनों की रोकथाम करने और इनका जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के संविधान में हमारे सभी देशवासियों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और ये अधिकार वास्तव में अनुल्लंघनीय हैं। हमारी संसद ने मानवाधिकारों और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों और गरीबों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक कानून बनाए हैं। ऐसे कुछ क़ानून हैं : बालक श्रम (प्रतिशोध और विनियमन) अधिनियम, 1986; मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 आदि। हमारे देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार अदालतें हैं।

देवियो और सज्जनो! विधायिका द्वारा कार्यपालिका की विशिष्ट जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की व्यवस्था है। हमारे देश में संसदीय याचिका समिति है जिसमें लोग और संघ किसी भी मामले के बारे में याचिका भेज सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी एक अन्य समिति समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करती है। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे वर्गों से संबंधित लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ–साथ अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग हैं।

विशिष्ट प्रतिनिधिगण, हमारे देश के लोगों को स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रीय संसद तक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न मामले उठाने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। ऐसे निकायों में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के विविध हितों पर उचित ध्यान दिया जाता है जिससे टकराव की संभावना कम होती है। मेरे अनेक सम्माननीय साथी जानते होंगे कि हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, बल्कि अनेक राज्यों में तो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जा चुके हैं। हमारी संसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला–पुरुष समानता को बढावा देने के लिए वचनबद्ध है।

माननीय प्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि सुशासन से ही मानवाधिकारों की रक्षा की जा सकती है। मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए खुला माहौल, पारदर्शिता, उत्तरदेयता, जवाबदेही, भागीदारी और लोगों की जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। आज ई–शासन पारदर्शी, जवाबदेह और तात्कालिक शासन को बढावा देने का साधन बन गया है।

जैसा कि सब जानते हैं, मानवाधिकार उल्लंघन हिंसात्मक टकराव का कारण भी हैं और परिणाम भी। सभी देशों को मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के प्रयास करने चाहिए और ऐसे उल्लंघनों को टकराव में बदलने से रोकने के लिए इस स्थिति का समाधान

करना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्रों के साथ–साथ न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को वास्तव में प्रातिनिधिक बनाने से मानवाधिकारों की रक्षा में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही हमें सभी स्तरों पर मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति विकसित करनी होगी ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न ही न हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और सजग सिविल समाज मिलकर मानवाधिकारों की रक्षा में अग्रगामी भूमिका निभा सकते हैं।

सर्वोच्च प्रातिनिधिक निकाय के रूप में संसद भी बुनियादी ढाँचे और व्यवस्था संबंधी ऐसी परिस्थितियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जिनसे हिंसा उत्पन्न हो रही हो। संसद सामाजिक और आर्थिक असमानता, विषमता और भेदभाव को दूर करने के लिए उचित उपाय कर सकती है। इसके साथ ही जागरूकता अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से एक ऐसे सुविज्ञ समाज की स्थापना की जा सकती है जिसमें मानवाधिकारों को उचित महत्त्व दिया जाए। हमें कार्यपालिका पर संसद की निगरानी को बढाना होगा और मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी भी मामले में इसे जवाबदेह ठहराना होगा ताकि व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़े।

वैश्वीकरण के युग में किसी देश की सफलता अथवा विफलता का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है। इस परिदृश्य में वऐाऩ 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों के रूप में तैयार किये गए दस्तावेज के पैरा 138 और 139 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई ''रक्षा करने की जिम्मेदारी'' से आशा बंधती है। सभी लोगों की जाति संहार, युद्ध–अपराधों, नस्ली आक्रमणों और मानवता के विरुद्ध अपराधों से रक्षा में एक दूसरे की सहायता करने के संयुक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार करना बहुत जिम्मेदारी की बात है। हम मिलकर इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से सफल बना सकते हैं।

देवियो और सज्जनो! मानवता के विरुद्ध अपराध और मानवाधिकारों के अन्य प्रकार के उल्लंघनों से हमारे समाज का ताना–बाना प्रभावित होता है। इससे देश और सम्पूर्ण क्षेत्र में अस्थिरता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को भी खतरा पहुंचता है।

विशिष्ट प्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि आज आतंकवाद मानवाधिकारों के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े उल्लंघन के रूप में उभरा है; यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करती हूँ कि वे मिलकर एक सुस्पष्ट नीति बनाएं और आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रभावी रणनीति तैयार करें। मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की स्थिति के निदान के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए इन्हें लेखनीबद्ध किया जाना बहुत जरूरी होता जा रहा है। महिलाएं और बच्चे युद्ध से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। बच्चे हमारे भविष्य की धरोहर हैं। हमें मानवाधिकारों की जी–जान से रक्षा करनी होगी क्योंकि हमारे बच्चों और हमारे समाज का भविष्य इस बात पर ही निर्भर करता है।

मानवाधिकारों और मानववादी कानूनों के उल्लंघनों का व्यापक ब्यौरा तैयार किये जाने की जरूरत है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस स्थिति के समाधान के लिए किस प्रकार के कानून, नियम और नीतियां उपयुक्त होंगी। अंतर संसदीय संघ के सदस्य देश ऐसी घटनाओं से सीखे गए सबकों और तुलनात्मक अनुभवों के बारे में उपलब्ध जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं। इससे अंतर संसदीय संघ को प्रभावित देशों को तकनीकी सलाह देने और उन्हें शक्ति–सम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी ताकि वे इस बारे में सुविचारित निर्णय ले सकें। अंतर संसदीय संघ प्रभावित देशों में ऐसी संस्थाओं की स्थापना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद कर सकता है जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के शिकार लोगों को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिल सके।

मानवाधिकार उल्लंघन निश्चित रूप से टकराव (युद्ध) और हिंसा के पूर्व लक्षण हैं जिससे देश की शांति, खुशहाली और प्रगति को खतरा पहुँच सकता है। संसद के समय से दिए गए उपयुक्त प्रत्युत्तर से मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकता है जिससे शान्ति स्थापित करने में मदद मिल सकती है जो विकास के लिए अत्यावश्यक है।

भारत में हम मानवाधिकारों के संवर्धन को इस पृथ्वी पर रह रहे सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढावा देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

धन्यवाद।